



Neutral Citation No. - 2026:AHC:26840-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

दाण्डिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 1123/2026

मोहम्मद अकील

.....याचीगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचीगण के अधिवक्ता: शिवानी कुलश्रेष्ठ, विष्णु मूर्ति त्रिपाठी

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 45

माननीय राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति

माननीय अचल सचदेव, न्यायमूर्ति

याची के विद्वान अधिवक्ता श्री वी.एम. त्रिपाठी, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता (ए.जी.ए.) को सुना तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।

इस रिट याचिका के माध्यम से, याची ने थाना मकखनपुर, जनपद फिरोजाबाद में उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 14 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद द्वारा वाद संख्या 4643/2025 (राज्य बनाम मोहम्मद शकील उर्फ शकील मास्टर) में पारित आदेश दिनांक 30.12.2025 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा याची की कुछ संपत्ति कुर्क कर दी गई है और यह निर्देश दिया गया है कि वह कानून के अनुसार विचाराधीन संपत्ति को अवमुक्त कराने के लिए अभ्यावेदन दायर कर सकता है।

याची के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 30.12.2025 किसी ठोस और विश्वसनीय सामग्री पर आधारित नहीं है और इसे अत्यंत मनमाने और विलक्षण तरीके से पारित किया गया है, इसलिए यह निरस्त किए जाने योग्य है।

इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना का कड़ा विरोध किया है और तर्क दिया है कि उपलब्ध वैधानिक उपचारों की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 14 के तहत पारित आदेश दिनांक 30.12.2025 को कोई चुनौती नहीं दी जा सकती।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा आगे यह तर्क दिया गया कि याची ने उक्त अधिनियम की धारा 15 के तहत अपना अभ्यावेदन दाखिल करने के बजाय, आक्षेपित आदेश दिनांक 30.12.2025 को

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



खंडित करने के लिए अवैध रूप से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जबकि विशिष्ट वैधानिक उपचार उपलब्ध है; इसलिए वर्तमान रिट याचिका पूरी तरह से भ्रामक है और खारिज किए जाने योग्य है।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार करने के बाद और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उपलब्ध वैधानिक उपचारों के रहते अधिनियम की धारा 14 के तहत पारित आदेश दिनांक 30.12.2025 को चुनौती नहीं दी जा सकती, और स्वयं अधिनियम में विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर स्पष्ट रूप से परिकल्पित है; हमारी यह राय है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों के प्रयोग में इस स्तर पर किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

वर्तमान रिट याचिका पूरी तरह से भ्रामक है और तदनुसार खारिज की जाती है।

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

6 फरवरी, 2026

वी.के.जी./के.यू.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"